

10-9-21

पत्नी के अतीत वर। इसकी
के लोके, एकलक केरु के
ए-ए-ए. एके 18-10-21
के पेश के।

तारीख/कुलम

उप सचिव अधिकारी
बाड़मेर

राज्य सरकार के निर्देशानुसार प्रशासन जांचो के लंग
अभियान-2021 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय
पर न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से पक्षकारान राजीव
गांधी सेवा केन्द्र सरणु पनजी पर जितने नौशिव नम्बर
हैकर दिनांक 04/10/2021 को राजीव गांधी सेवा केन्द्र
सरणु पनजी पर पत्रावली पेश हो

सचिव

अधी-जानके

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर

अधी-जानके

04/10/2021

ग्रह पत्रावली राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरणु पनजी मुख्यालय
पर पेश है। पत्नी के अज्ञानीगण उपस्थित। अज्ञानीगण
द्वारा नौशिव नम्बर कर अपनी स्वयंसेविका डी.डी. प्रसन्न
पहचान सरपंच ग्राम पंचायत सरणु पनजी
द्वारा डी.डी. प्रसन्न के अज्ञान अज्ञानीगण पहचानकर्ता
1956 की धारा 111, 128 के तहत प्रकृत प्रकृत
किया। प्रसन्न अपने व्यक्तिगत लिख मौला
सरणु प्रसन्न के पत्रावली नंबर 473/209

दीपशिख

क.क.का 3.17 की धारा किले का. हो.क
पत्रावली सरणु महलील सं
जिला बाड़मेर के अकिलिजित स्वयंसेविका हैं लकी
अपनी व्यक्तिगत बॉस की पत्नी नैवप्रबंसी प्रसन्न
-पाइका है, स्व हेतु निर्धारित शकल जका क.क.का
के तैयार है।

(इन्द्रसिंह)
सरपंच
ग्राम पंचायत सरणु पनजी
पं.स. बाड़मेर ग्रामीण

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाड़मेर


— ल.स.स. —

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख अहकाम
जो इस हुकम
की तामील में
जारी हुए

अतः मौजा खरणु भीमजी पटवारगा
खरणु तहसील बापनेर जिला बापनेर
के खसरा नंबर 473/289 रकबा 3.17
कीया भूमि के अधिकारिता खतिनाह
तथा अपनी खतिनाही ठिके के पाते तरफ
पम्मे नेवम लजापर कर नेवमबंसी
करे हेतु तहसीलदार बापनेर को उम्मीद
नियुक्त किमा भादु निर्देश दिये जाते हैं कि
उक्त करवाही जारी व विपरीतगण को नकिल
नोटिस/पत्र बुलाने करते हुए एक निश्चित
तारीख पूर्वकर कर (वर्षाकाल में खड़ी
कसर पर सीमांकन व पाण्डुगोदी करी कले
काबज राजस्व गिनाज द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 03-09-1992 के अंतर्गत की जाये।
कमीशनर जील 1500/- अर्थात् एक हजार पांच
सौ रुपये मात्र निष्पत्ति की जाये है जो
पानी द्वारा मोठे पर अडा की जायेगी।
उक्त आशय का अदेश तहसीलदार
बापनेर के नाम जारी हो। पाल्ना रिपोर्ट
प्राप्त होने पर बाकिल मिलल हो।
पत्रावली मिलल बुभार होकर दाखिल
दफ्तर हो।


सहायक क्लर्क
(SDO) बापनेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी :- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र सरणू पनजी

क्रमांक रीडर/2021/ 30

दिनांक:- 06.10.2021

प्राथीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
सरूपसिंह पुत्र सांगसिंह जाति रावणा राजपूत, निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।		1 दीपसिंह पुत्र सांगसिंह जाति रावणा राजपूत 2. भंवरसिंह पुत्र मोबतसिंह, 3. जयसिंह पुत्र हमीरसिंह, 4. अपसिंह पुत्र हमीरसिंह, जातियान राजपूत निवासीगण सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखबंदी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या:- 58/2021

दिनांक:- 06.10.2021

आदेश

उपर्युक्त प्रकरण मौजा सरणू भीमजी पटवार हलका सरणू तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 473/289 रकबा 3.17 बीघा किस्म बा.दो. के चारो तरफ पक्की नेखम स्थापित करते हुए नेखबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखबन्दी कार्यवाही करने से पूर्व प्राथी व विपार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित(वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करे बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के अनुसार) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/-अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्राथी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक:- 06.10.2021

क्रमांक:- क्रमांक/रीडर/2021/ 39-42

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सरणू तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्राथी सरूपसिंह पुत्र सांगसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्राथी दीपसिंह पुत्र सांगसिंह वगैराह जाति रावणा राजपूत निवासीगण सरणू भीमजी तहसील व जिला बाड़मेर।

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर